संख्याःपीसीएच–एचए(5)89–1
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः

निदेशक एवं विशेष सचिव(पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषितः

1. समस्त जिलाधीश,
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हि0प्र0
3. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांक 14 मार्च, 2018.

विषयः– पंचायतों द्वारा निजी भूमि किए जाने वाले विकास कार्यों हेतु भूमि प्रदान करने बारे।

महोदया/महोदय,

विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय–2 पर विभाग के ध्यान में लाया गया है कि निजी भूमि पर विकास कार्यों को करने में भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकिया को पूर्ण करने में लम्बा समय लगने के कारण विकास कार्यों के निष्पादन की गति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है जिस कारण पंचायतों द्वारा धन का उपयोग निहित समय पर नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु निम्न दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैः–

1. पैदल रास्तों के निर्माण हेतु (अगर ऐसे रास्ते राजस्व अभिलेख में दर्ज न भी हों तब भी) निजी भूमि मालिक से सादे कागज पर अनुमति/सहमति लेकर कार्य आरम्भ किया जाये।

2. यदि पंचायत द्वारा किसी स्थाई सम्पति जैसेकि पंचायत घर, पटवार खाना, आंगनवाड़ी केन्द्र, महिला मण्डल, सामुदायिक भवन इत्यादि का निर्माण निजी भूमि पर करना प्रस्तावित है तो निजी भूमि मालिक से इस भूमि को ग्रामीण विकास अथवा पंचायती राज विभाग के नाम हस्तान्तरित करवाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

(राकेश कंवर)
निदेशक एवं विशेष सचिव(पं0रा0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।